कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1014 /मुरादाबाद/33064/2018, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 14 , 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून (मुरादाबाद–कॉठ मार्ग) एस0एच0–49 किमी0 14 के चैनेज 13.552 से 13.600 की बायीं पटरी पर ग्राम–लदावली के खसरा सं0–242 में सिटी एनर्जी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079664 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/72/2018/एफसी/455, दि0 08.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र, जिसकी प्रति शासन को भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय बिन्दुओं की सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त सूचनायें सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थीं।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक–1255/14–1, दिनांक 01.11.2018 बिन्दुवार सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त पत्र की संलग्नक सहित एक प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अभिलेख भारत सरकार प्रेषित कर विषयगत प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

15/11

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– ______/_____, उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद।
3– उप महाप्रबन्धक, सिटी एनर्जी लि0, मुरादाबाद।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।